न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 24/2019 (धारा 75 भू राजस्व अधि0 1956) (R.C.M.S . no 2019/00028)

रघुनाथ पुत्र सांवल जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली जरिये मुख्त्यारखास श्रीमती शान्तीदेवी पत्नि रघुनाथ। .....**अपीलान्टा**

बनाम

1. रामपति देवी पुत्री बद्री प्रसाद जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

.....**असल रैस्पोडेन्ट**

2. रामभरोसी
3. रामनाथ
4. शिवनाथ

पिसरान सांवल

5. मल्ला
6. सुखराम

पिसरान हरभजन

7. किस्तूरी वेवा हरभजन

अकवाम मीणा निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

.....**तरतीवी रैस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम दिनांक 30.1.2019 प्रकरण संख्या 7/2017 उनवानी रामपति बनाम भरोसी आदि प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री डालचंद लाठा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 5.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के निर्णय दिनांक 30.1.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट असल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि हाल ख0नं0 453 रकबा 0.12 है0 भूमि पूर्व ख0नं0 103 से बना है। पूर्व ख0नं0 103 से भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साविक ख0नं0 103 रकबा 9 विस्वा से वर्तमान ख0नं0 453 रकबा 0.12 है0 बना है। जो प्रार्थीया/रैस्पोडेन्ट असल की खातेदारी की भूमि है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीया/रैस्पो0 असल के पुराने ख0नं0 103 व नये नम्बर 453 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीया/अपीलान्टा का खेत पुराना खसरा नम्बर 104 के नये नम्बर 452 व 453/1684 बने है स्थित है। पुराने ख0नं0 से नया ख0नं0 का राजस्व रिकार्ड में अंकन विधिवत दर्ज किया गया है। किन्तु नक्शे में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम गलत दर्ज करते हुये ख0नं0 104 पुराने से नये बने ख0नं0 452, 453/1684 की नक्शे की तरमीम भी राजस्व रिकार्ड व पुराने ख0नं0 104 के अनुसार अप्रार्थीगण/अपीलान्टा के पुराने ख0नं0 104 से बने नये ख0नं0 में की जानी चाहिऐ थी। परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने त्रुटीवश ख0नं0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

453/1684 की तरमीम मिलान क्षेत्रफल के विपरीत नक्शे में खसरा नम्बर 103 से बने नये खसरा नम्बर 453 में कर दी है। जबकि ख0नं0 453/1684 पुराने खसरा नम्बर 104 से बना है। इसलिऐ उसकी तरमीम भी ख0नं0 104 से बने नये ख0नं0 452 के साथ उसी भू–भाग में होनी चाहिऐ थी। इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 103 से बने नये ख0नं0 453 में गलत तरमीम कर दिये जाने से प्रार्थीया/रैस्पो0 असल का नक्शा गलत तरमीम कर दिया गया है जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार रैस्पोडेन्ट असल के द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि पुराने ख0नं0 104 से बने नये ख0नं0 453/1684 की भूमि नक्शे में तरमीम प्रार्थीया/रैस्पोडेन्ट असल के पुराने खसरा नम्बर 103 से बने नये खसरा नम्बर 453 में से विलोपित की जाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट के पुराने ख0नं0 104 से बने नये ख0नं0 452 के साथ–साथ नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जावे। रैस्पोडेन्ट असल के इस प्रार्थना पत्र पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी टोडाभीम द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2019 पारित किया गया जिसके तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम के हाल ख0नं0 453 में ख0नं0 453/1684 की लाईन हजफ करने के आदेश दिये गये इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि ख0नं0 453 रकबा 12 ऐयर जो साविक ख0नं0 103 रकबा 9 विस्बा से बना था एवं साविक खसरा नम्बर 104 से नवीन ख0नं0 452 रकबा 14 ऐयर व 453/1684 रकबा 04 ऐयर स्थित ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम है। रैस्पाडेन्ट संख्या–1 द्वारा गलत रूप से अंकित किया है कि साविक खसरा नम्बर 103 रकबा 9 विस्बा पूर्व में रामफूल, रामप्रसाद पिसरान घूडा के नाम दर्ज थी। यह कि राजस्व रिकार्ड में पुराने खसरा नम्बर से नया खसरा नम्बर का राजस्व रिकार्ड में में अंकन विधिवत रूप से दर्ज है। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा सभी काश्तकारों के सामने साविक खसरा नम्बर 104 से नवीन नक्शा सीट में खसरा नम्बर 452, 453/1684 सही दर्ज किया है एवं किसी प्रकार की कोई त्रुटी नहीं की है तथा दोनों उक्त नम्बरों को मिलाने पर ही साविक खसरा नम्बर 104 का रकबा 4 विस्बा पूरा होता है तथा सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा नवीन नक्शा के साविक खसरा नम्बर 104 के दो टुकडे कर नवीन खसरा नम्बर 453/1684 रकबा 4 ऐयर एवं 452 रकबा 14 ऐयर सही तरमीम किया है पूर्ण रिकार्ड होने के बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। रैस्पोडेन्ट संख्या–1 का यह कहना गलत है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नक्शा तरमीम करते समय साविक ख0नं0 104 से बने ख0नं0 453/1684 को प्रार्थीया के साविक ख0नं0 103 से बने 453 में से कम कर दिया हो बल्कि सही बात यह है कि रैस्पोडेन्ट अपने प्रभाव का गलत फायदा उठाकर अपीलान्ट की भूमि को हडपने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों में गलत कार्यवाहियां करती है और प्रार्थनापत्र 136 एल आर एक्ट भी तहत अदालत में गलत पेश किया गया है। यह कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ख0नं0 453 रकबा 12 ऐयर व अपीलान्ट की खातेदारी 452 व 453/1684 स्थित ग्राम गोरडा के संबध में दावा बाबत घोषण खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा संख्या 23/16 उनवानी श्रीमती रामपति बनाम भरोसी वगैरा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 10/16 प्रस्तुत किया गया । जिसमें प्रार्थीया/रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रामपति का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक खारिज किया गया तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18.7.2017 में यह तथ्य अंकित किया कि विवादित भूमि ख0नं0 453/1684 रकबा 4 ऐयर साविक खसरा नम्बर 103 से नहीं बनकर साविक खसरा नम्बर 104 से मिलान क्षेत्रफल से ही बनना पाया जाता है और उक्त आराजी अप्रार्थीगण भरोसी वगैरह की खातेदारी में दर्ज है और तकास्मा होने के बाद वर्तमान में अप्रार्थी रघुनाथ /अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज है तथा रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा विवादित आराजीयात के संबध में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 30/16 रामपति बनाम भरोसी वगैरह न्यायालय से कमजोर स्थिति देख कर विड्रो करा लिया एवं पुनः अपीलान्टा को परेशान करने की गर्ज से यह प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि सैटिलमेन्ट द्वारा किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज नहीं किया बल्कि रैस्पोडेन्ट संख्या –1 न्यायालय के माध्यम से तथा अपना प्रभाव दिखाकर राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज करवाना चाहती है तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है बाबजूद इसके तहत अदालत ने बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर रैस्पो0 असल का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी टोडाभीम दिनांक 30.1.2019 मुकदमा संख्या 7/17 व उनवानी रामपति बनाम भरोसी वगैरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल आर एक्ट निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी टोडाभीम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही रिकार्ड के अनुरूप अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि ख0नं0 453 रकबा 12 ऐयर जो कि साबिक ख0नं0 103 रकबा 9 विस्बा से बना है एवं ख0नं0 452 रकबा 14 ऐयर व खसरा नम्बर 453/1684 रकबा 4 ऐयर साबिक नम्बर 104 से बने है। उक्त खसरा नम्बरों में खसरा नम्बर 453 रैस्पोडेन्ट संख्या–1 श्रीमती रामपति की न्यारानूर कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात है। तथा साबिक खसरा नम्बर 104 जिससे वर्तमान में खसरा नम्बर 452 रकबा 14 ऐयर तथा 453/1684 रकबा 4 ऐयर बने है रैस्पो0 संख्या–2 लगायत 7 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकार्ड में साबिक ख0नं0 103 का नया खसरा नम्बर 453 तथा साबिक खसरा नम्बर 104 के नये ख0नं0 452 व 453/1684 में अंकन विधिवत रूप से सही दर्ज किया है जिससे अपीलान्ट व रैस्पो संख्या–1 को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है लेकिन सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा जब साविक खसरा नम्बर 104 के नये खसरा नम्बर 452 रकबा 14 ऐयर व 453/1684 के नवीन नक्शा सीट का निर्माण किया गया तो नवीन नक्शा निर्माण में सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा यह त्रुटी कर दी गई कि साविक खसरा नम्बर 104 के नवीन खसरा नम्बर 453/1684 का अंकन (लाईन) को साबिक खसरा नम्बर 103 के खसरा नम्बर 453 में अंकन (लाईन) को बढा दिया गया है जिससे रैस्पो0–1 का रकबा नक्शा ट्रैस में कम दर्ज हो गया है। सैटिलमेन्ट से पूर्व के नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा नम्बर 103, 104, 105 का अंकन राजस्व रिकार्ड के आधार पर सही किया गया है लेकिन सैटिलमेन्ट के बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा खसरा नम्बर 104 की लाईन को साबिक खसरा नम्बर 103 में बढा दिया गया है जिससे नक्शा ट्रेस में त्रुटी (क्लरिकल मिस्टेक) हो गई है। जो राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त किया जाना न्यायोचित रहता है तथा उपखण्डाधिकारी को धारा 136 एल आर एक्ट के तहत क्लरिकल मिस्टेक को दुरूस्त किये जाने के बखूबी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा यदि साबिक ख0नं0 103 व खसरा नम्बर 104 का नक्शा ट्रेस तथा सैटिलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 453 व ख0नं0 452, 453/1684 के नक्शे को आपस में ऊपर–नीचे रख दिया जाता है तो उक्त त्रुटी का प्रथम दृष्ट्या सिर्फ देखने से ही पता चल जाता है। तहत अदालत ने नियमानुसार बाद परीक्षण इस क्लरिकल मिस्टेक को दुरूस्त किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। यह कि साबिक ख0नं0 103 नया ख0नं0 453 तथा साबिक ख0नं0 104 ख0नं0452 व 453/1684 के त्रुटी पूर्ण नक्शा ट्रेस में संशोधन बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन आदेश न्यायिक है क्यों कि सैटिलमेन्ट से पूर्व का नक्शा ट्रेस व सैटिलमेन्ट के बाद का नक्शा ट्रेस के अवलोकन करने के उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि नक्शा ट्रेस में ख0नं0 453/1684 को बढाते हुये अंकन (लाईन) खसरा नम्बर 453 में कर दिया गया है। जिससे अप्रार्थी संख्या–1 रामपति की नक्शा ट्रेस में आराजी कम हो गई है। अपीलान्ट का यह कहना भी गलत है कि दावा कमजोर स्थिति देखते हुये बिड्रो किया बल्कि वास्तविकता यह है कि न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम द्वारा आदेश दिनांक 26.9.2017 के तहत यह प्रकरण क्लेरिकल मिस्टेक होने से नया दावा पेश करने की इजाजत देते हुये बिड्रो किया है। सक्षम न्यायालय द्वारा वाद पत्र वापिस लिये जाने की अनुमति एवं नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तहत अदालत ने बकायदा तहसीलदार टोडाभीम से पुराने नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस के आधार पर रिपोर्ट तलब की गई तो तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट क्रमांक 186 दिनांक 21.1.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि '' साबिक नक्शा शीट नवीन खसरा नम्बर 453 में से बटा नम्बर 453/1684 की लाईन हजफ की जानी चाहिऐ'' । इसके अलावा यह प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट के तहत मात्र नक्शा सीट में दुरूस्ती से संबधित है। साबिक नक्शा सीट पर हाल नक्शा सीट का मिलान करने पर साबिक नक्शा सीट के खसरा नम्बर 103 से बने नये ख0न0 453 का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। हाल ख0नं0 453/1684 की सीमा रेखा हाल खसरा नम्बर 453 में बढा कर खींच दी गई है । गत व हाल नक्शा सीटों के मिलान करने पर यह प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट हो जाता है। यह प्रकरण हक हकूकी का न होकर मात्र गत एवं हाल नक्शासीट में अन्तर को दुरूस्त करने का है। जिसे रिकार्ड के अवलोकनोपरान्त बाद परीक्षण हजफ किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित रहता है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2019 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 30.1.2019 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत अदालत उपखण्डाधिकारी टोडाभीम द्वारा न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति /मातहत अधिकारियों की मौका

रिपोर्ट तलब करते हुये बाद परीक्षण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि गत एवं हाल नक्शा सीट में अन्तर आ गया है। वास्तव में यह प्रकरण खातेदारी हक हकूकों का न होकर केवल नक्शासीट दुरूस्ती का है। जिसको दुरूस्त किये जाने हेतु धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत उपखण्डाधिकारी को बखूबी अधिकार प्राप्त है। यह भी जाहिर है कि खसरा नम्बर 103 से बने नये ख0नं0 453 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तो अंकन किया है किन्तु हाल नक्शा सीट में साबिक खसरा नम्बर 104 से बने नये खसरा नम्बर 453/1684 की सीमा हाल खसरा नम्बर 453 की सीमा में तरमीम कर दी गई है जिससे नक्शा सीट में खसरा नम्बर 453 के क्षेत्रफल गत व हाल में अन्तर आ गया है। यह तथ्य गत एवं हाल नक्शा सीटों के मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा खातेदारी रकबे को प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत दुरूस्त/फेरबदल किया जाना संभव नहीं है यह अनुतोष नियमित वाद से ही संभव हो सकता है। तहत अदालत के समक्ष गत एवं हाल के नक्शा सीट में अन्तर होने पर दुरूस्ती का प्राार्थना पत्र पेश हुआ जिसे तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये नियमानुसार तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2019 पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटी नहीं पाते है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टा आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी टोडाभीम का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2019 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official